रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 1983/चैत्र 1, 1905
No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 1983/CHAITRA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1983

का.आ. 190(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि कावेरी शुगर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, कावेरी फैक्टरी जो तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरपल्ली जिले में पेट्टाई-वेटालई में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 167 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्यभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-ए]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd March, 1983

S.O. 190(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Cauvery Sugar and Chemicals Limited, Cauvery Factory, manufacturing sugar at Petraivaytalai in the district of Tiruchirapalli in the State of Tamil Nadu, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 167(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar

undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-A]

का.आ. 191(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि अयोध्या शुगर मिल्स, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में राजा का सहसपुर में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 168 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित है) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-बी]

S.O. 191(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Ajudhia Sugar Mills, manufacturing sugar at Raja-ka-Sahaspur in the district of Muradabad in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 168(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of propetry, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-B]

का.आ. 192(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, जो महाराष्ट्र राज्य के बल्दाना जिले में शक्कर नगर में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है :

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 169(अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित है) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-सी]

S.O. 192(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Jijamata Sahkari Sakhar Karkhana Limited, manufacturing sugar at Shankarnagar in the district of Buldana in the State of Maharashtra, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 169(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of propetry, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-C]

का.आ. 193(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में लक्सर में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 170(अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित है) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका

उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-डी]

S.O. 193(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Lhaksar in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 170(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-D]

का. आ. 194(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि श्री सीताराम शुगर कम्पनी लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में बैतालपुर में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 171 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[फा सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-ई]

S.O. 194(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Shree Sitaram Sugar Company Limited, manufacturing sugar at Baitalpur in the district of Deoria in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 171(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-E]

का. आ. 195(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि देवरिया चीनी मिल्स लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में देवरिया में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 172 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[फा सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-एफ]

S.O. 195(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Deoria Sugar Mills Limited, manufacturing sugar, at Deoria in the district of Deoria in the State of Uttar Pradesh being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture Department of Food) No. S.O. 172(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-F]

का. आ. 196 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सैक्सरिया चीनी मिल्स लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में बभनान में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधि-

नियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 173 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-जी]

S.O. 196(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Seksaria Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Babhnan in the district of Gonda in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 173(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No 13-1/83 NSU-G]

का. आ. 197 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, जो राजस्थान राज्य में बून्दी जिले में केशोराय पाटन में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 174 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा ।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-एच]

एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव

S.O. 197(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Keshoraipatan in the district of Bundi in the State of Rajasthan, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 174(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83 NSU-H]

N. R. BANERJEE, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983